

## न्यायालय नायब तहसीदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 28 तारीख दायर 07/08/2020 दिनांक निर्णय 14/08/2020

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हल्का दिगावड़ा बनाम पप्पू

आज पत्रावली मु.- नायब तहसीलदार राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल ~~उप~~/अनु. जवाब पेश ~~नहीं~~/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 2077 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल पप्पू पुत्र मोहन लाल

जाति कुम्हार निवासी दिगावड़ा को

आराजी खसरा नं. 89 किस्म चसागाट वाके ग्राम दिगावड़ा

से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.60 की 50 गुणा में मु.

80/- रुपये कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 17 प. 3 च. 4. 80/-  
राशि कायम किये गये।

पिबे  
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)  
14/8/20